

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- झुंझुनूं में अधिशासी अधिकारी नगर पालिका बगड के कार्यालय की महिला कार्यालयकर्मी 3 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार
- आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी

जयपुर, 02 नवम्बर, बुधवार। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर सीकर इकाई द्वारा आज झुंझुनूं में कार्यवाही करते हुये श्रीमती सुनीता कार्यालयकर्मी (फायरवुमैन) कार्यालय अधिशासी अधिकारी नगरपालिका बगड, जिला झुंझुनूं को परिवादी से 3 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की सीकर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि डेयरी बूथ संचालन के लिये एनओसी जारी करने एवं विद्युत कनेक्शन के लिये प्रमाण पत्र जारी करने की एवज में श्रीमती सुनीता कार्यालयकर्मी (फायरवुमैन) कार्यालय अधिशासी अधिकारी नगरपालिका बगड, जिला झुंझुनूं द्वारा 3 हजार रुपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, जयपुर के उपमहानिरीक्षक पुलिस श्री कालूराम रावत के निर्देशन में एसीबी सीकर इकाई के उप अधीक्षक पुलिस श्री राजेश जांगिड़ के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज मय टीम के झुंझुनूं में ट्रेप कार्यवाही करते हुए श्रीमती सुनीता कार्यालयकर्मी (फायरवुमैन) कार्यालय अधिशासी अधिकारी नगरपालिका बगड, जिला झुंझुनूं को परिवादी से 3 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाइन नं. 1064 एवं **Whatsapp हैल्पलाइन नं. 94135-02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।